

तारीख हुकम

10/2021

लादी व/स देवबल वर्ग

06/10/24

~~पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता उपा/उतिवादी ने जवाब पेश किया है। अफसर द्वारा पत्रावली जवाब हेतु 19/11/24 को पेश हो~~

पुनश्च:

पत्रावली आदेशिका दिनांक 8/2/22 के अनुसार जमींदारी की तलबी में निरत है, दि-8/2/22 के अन्तर्गत वादी व/स जमींदारी की तलबी की करती है, अतः पत्रावली वास्ते जमींदारी की तलबी हेतु दिनांक 19/11/24 को पेश हो।

[Signature]

19/11/24

19/11/24

पत्रावली पेश हुई। वादीया एवं वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं। वादीया एवं वादी अधिवक्ता को नियमानुसार तीन बार आवाज लगाई गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। समय 5:50 PM हो चुका है। न्यायालय में वादीया एवं वादी अधिवक्ता को पुनः एक बार आवाज लगाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। वादीया एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से वादीया द्वारा अन्ततः वाद अन्तर्गत धारा -53 शब्दात्मक काश्तकारी आभिनियम को अदम हाजरी-अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। इसकी पर्याप्त जारी हो।

निष्पत्ति सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली मौजल शुमार लेकर दाखिल दफ्तर ही तथा नम्बर से कम हो।

[Signature]
19/11/24

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा